UPMO010001912023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

दाण्डिक विविध वाद संख्या–13/2023

विनय कुमार कौशिक, एडवोकेट बनाम मौहम्मद वसीक उर्फ हाजी बाबू आदि।

10–03–2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थी/वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2. विगत तिथि पर विपक्षी संख्या–2 की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या–18 बी इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि, विविध वाद प्रस्तुतकर्ता का दिनांक 18–07–2024 को निधन हो गया है और आज तक कोई कार्यवाही उक्त विधिध वाद में, विविध वाद प्रस्तुतकर्ता की ओर से प्रारम्भ नहीं हुई है। उपरोक्त आधार पर प्रश्नगत विविध वाद को निरस्त किये जाने के आदेश पारित करने की याचना की गयी।

3. न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की सत्यता जानने हेतु सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी थी।

4. थाना मझौला, जिला मुरादाबाद से प्राप्त आख्या कागज संख्या-19 बी/1 के अनुसार उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार, विनय कुमार कौशिक पुत्र खूब चरन कौशिक, निवासी-180 विकास नगर, थाना मझौला, जनपद मुरादाबाद के मकान पर पहुंचे तो उनके परिजन मौजूद मिले, जिनके द्वारा बताया गया कि, विनय कुमार कौशिक उपरोक्त की मृत्यु दिनांक 16-07-2024 में हो चुकी है। मृतक के परिजनों द्वारा प्रदान की गयी मृतक विनय कुमार कौशिक के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति थाने की आख्या के साथ संलग्न है।

5. थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद के उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार, जिनके द्वारा उक्त मृत्यु आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, न्यायालय में उपस्थित हैं, जिनका बयान बतौर सी०डब्लू०-1 अभिलिखित किया गया। उक्त साक्षी ने अपने बयान में कथन किया है कि, दिनांक 06-03-2026 को न्यायालय द्वारा विनय कुमार कौशिक, एडवोकेट की मृत्यु आख्या थाना मझौला से तलब की गयी थी। उक्त आदेश एस0एच0ओ0 ने उसे प्राप्त कराया और मौखिक रूप से उसे आदेशित किया कि, मृतक विनय कुमार कौशिक, एडवोकेट के घर जाकर जांच कर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। इसके बाद वह विनय कुमार कौशिक, एडवोकेट के घर गया, जहां पर उनके पुत्र राजीव कौशिक, ए0डी0जी0सी0 क्रिमिनल मौजूद मिले, जिन्होंने उसे अपने पिता विनय कुमार कौशिक, एडवोकेट के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति दी और बताया कि, उनके पिता स्व0 विनय कुमार कौशिक की मृत्यु दिनांक 16-07-2024 को हो चुकी है, जिनके सम्बन्ध में वह आज दिनांक 10-03-2026 को विनय कुमार कौशिक, एडवोकेट की मृत्यु आख्या तैयार कर एस0एच0ओ0 रविन्द्र सिंह द्वारा अग्रसारित

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.03.10 16:40:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कराकर न्यायालय में प्रेषित कर रहा है। गवाह ने स्वयं के द्वारा प्रमाणित विनय कुमार कौशिक, एडवोकेट के मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति कागज संख्या-19 बी/2 को प्रदर्श सी-1 व मृत्यु आख्या कागज संख्या-19 बी/1 को प्रदर्श सी-2 के रूप में साबित किया है।

6. इस प्रकार थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद के उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार ने स्वयं के द्वारा प्रस्तुत आख्या व अपने मौखिक साक्ष्य से, प्रार्थी/वादी विनय कुमार कौशिक, एडवोकेट की मृत्यु दिनांक 16−07−2024 को होने की पुष्टि की है। प्रश्नगत विविध वाद के वादी विनय कुमार कौशिक, एडवोकेट की ओर से उनके किसी वारिस द्वारा प्रश्नगत विविध वाद में कोई प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

7. ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी की मृत्यु के परिणामस्वरूप प्रश्नगत दाण्डिक विविध वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार उपरोक्त दाण्डिक विविध वाद संख्या-13/2023 की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
I.D.N0-UP 1895